

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्था.न, जयपुर

उर्दू छात्रवृत्ति (नवीनीकरण)

(यह छात्रवृत्ति केवल उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर अध्ययन करने वाले को ही देय हैं)

वर्ष 20 - 20.....

सेवा में,
श्रीमान् निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थाएन,
जयपुर

छात्र / छात्रा का
फोटो
संस्थाओ प्रधान द्वारा
प्रमाणित मय सील के

1. छात्र / छात्रा का नाम
2. पिता का नाम, व्यकवसाय
निवास का पता मय दूरभाष/ मोबाईल न.
3. माता-पिता की वार्षिक आय
4. संस्था. का नाम जिसमें छात्र / छात्रा
अध्य.यनरत् हैं
5. कक्षा का नाम जिसमें छात्र / छात्रा
अध्य.यनरत् हैं
6. उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण वर्ष पूर्णांक प्रासां.क श्रेणी प्रतिशत
(प्रामाणिक अंक तालिका संलग्न करें)
7. क्याक छात्रा कोई अन्यक छात्रवृत्ति प्राप्त
कर रही हैं ? अगर हां तो उसका नाम
एवं राशि का उल्लेख करें।
8. छात्र / छात्रा कहीं कार्यरत हो
तो स्पशष्टे उल्लेख करें।
9. गत् वर्ष छात्रवृत्ति स्वी कृत हुई है उसके
क्रंमाक व दिनांक मय राशि क्रम संख्या सहित।

स्थामन : आवेदक के हस्ता.क्षर

दिनांक: कक्षा

संस्थाक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती पुत्र
/ पुत्री श्री ने दिनांक को इस संस्थाक
की कक्षा में प्रवेश लिया है तथा उर्दू विषय लेकर अध्ययन कर रहा / रही हैं
एवं इनका चरित्र उत्त.म है तथा छात्रवृत्ति हेतु सिफारिश की जाती है ।

स्थाइन संस्थास प्रधान के हस्ता क्षर

दिनांक मय सील के

नोट :- 1. स्ना.तक स्तीर पर केवल महिलाओं को ही छात्रवृत्ति देय हैं। 2. स्ना/तकोत्तर स्तसर पाठयक्रम हेतु छात्र /
छात्राओं को छात्रवृत्ति देय हैं। 3. उर्दू विषय लेकर अध्ययन करना अनिवार्य हैं। 4. आय शपथ पत्र प्रथम श्रेणी
दण्डरनायक / नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया होना चाहिए।